न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 132/2018 (अपील)

उनवान

1. श्रीमति सुगना बाई पत्नि श्री रामनारायण जी मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूली तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी 3–ए–49 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

2. रामनारायण आत्मज स्व0 श्री हरदेव जी जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूली तहसील दीगोद जिला कोटा हाल निवासी 3–ए–49 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

(अपीलाण्ट)

बनाम

1. जगदीश आत्मज जमनालाल जी जाति मीणा निवासी ग्राम बम्बूली,तहसील दीगोद जिला कोटा
2. ग्राम पंचायत चौमा मालियान जरिये सरंपच ग्राम पंचायत चौमामालियान

(रेस्पोडेण्ट)

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता (अभिभाषक अपीलाण्ट)
2. श्री सुरेन्द्र दाधीच (अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से 1.2)
3. जगदीश प्रसाद शर्मा (अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर न0 2 की ओर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
बनाराजी आदेश दिनांक 20.10.2011 कार्यालय ग्राम पंचायत चौमा मालियान

निर्णय दिनांक : 18.09.2024

1. अपीलाण्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक यह अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत चौमा मालियान पंचायत समिति सुल्तानपुर जिला कोटा के द्वारा आदेश दिनांक 20.10.2011 पर पारित आज्ञा की अप्रसन्नता से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत पेश की गई संक्षेप में प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि जैर अपील योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय, नियम तथा तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है।

.2. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेण्ट न01, 2 की ओर से अभिभाषक उपस्थित हुऐ। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

.3 विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट का बहस अपील में कथन है कि रेस्पो0 न0 2 ग्राम पंचायत चौमा मालियान ने रेस्पो0 नम्बर 1 के खेत पर जाने का रास्ता धारा 251 के तहत साडे 12 फिट चौडा रास्ता दिये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को पक्षकार बनाये बिना एवं नोटिस दिये बिना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाण्ट्स की अनुपस्थित में आदेश पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के खाते की उक्त आराजीयात के समीप अपीलाण्ट कम 2 रामनारायण के खाते में कोई कृषि आराजीयान स्थित नहीं है। अपीलाण्ट कम 1 श्रीमति सुगनाबाई के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम चौमाकोट की ख0न0 421/170 की 1.63 हैक्टर भूमि स्थित है। राजस्व अभिलेख में भी अपीलाण्ट नम्बर 1 खातेदार दर्ज है। अपीलाण्ट नम्बर 1 के खाते की भूमि में होकर रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की भूमि पर जाने का कभी भी रास्ता कायम नहीं रहा है। ग्राम पंचायत चौमा मालियान ने साडे 12 फिट चौडा नया रास्ता कायम किये जाने का आदेश प्रदान करने में त्रुटि की है। ग्राम पंचायत को पूर्व से कायम रास्ते को खुलासा करने का अधिकार प्राप्त है तथा नया रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है। रेस्पो0 न0 1 के खाते की भूमि में आने जाने का रास्ता कभी भी अपीलाण्ट न0 1 के खाते की भूमि में होकर नहीं रहा है। अपीलाण्ट नम्बर 1 ने तथाकथित रास्ते को अवरूद्ध नहीं किया है। पंचायत एक्ट के अन्तर्गत ग्राम पंचायत को कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में रास्ता कायम करने का अधिकार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी दीगोद के न्यायालय में धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत उसके रास्ते उक्त भूमि के लिये नया रास्ता कायम करने की कार्यवाही कर रखी है। अपीलाण्ट न02 के खाते में कोई भूमि स्थित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20.10.2011निरस्त फरमाया जावे। तथा अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 न01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करे एवं प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित फरमाने की कृपा करे।

4. रेस्पोडेन्ट वकील का बहस में कथन है कि उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टीएक्ट प्रकरण संख्या 2/18 उनवान पुष्पचन्द्र बनाम सुगनाबाई में उक्त विवादित आराजी मे रास्ते सम्बन्धित प्रकरण मे दिनांक 21.11.2019 को आदेश पारित हो चुका है। जिसमें उभयपक्ष अधिवक्तागण ने उक्त रिपोर्ट दिनांक 9.05.2018 के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर दिये जाने में पूर्ण सहमति जाहिर की है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत चौमा मालियान के आदेश दिनांक 20.10.2011 का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील आदेश दिनांक 20.10.2011 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 30.11.2018 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से पेश करने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी 2.11.2018 को पटवारी के बताने होना बताया है। विलम्ब से अपील पेश

करने के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा ऐसा कोई कानूनी दस्तावेज पेश नहीं किया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

6 वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 24.07.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया। वकील अपीलाण्ट ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। रेस्पोडेन्ट वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद की होकर सरकारी दस्तावेज होने से निर्णय में सहायक सिद्ध होगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी दिनांक 24.07.2024 स्वीकार किया जाकर दस्तावेज रेकार्ड पर लिये जाते है।

7 रिकार्ड के अवलोकन से जाहिर है कि उपखण्ड अधिकारी दीगोद द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टीएक्ट प्रकरण संख्या 2/18 उनवान पुष्पचन्द्र बनाम सुगनाबाई में उक्त विवादित आराजी मे रास्ते सम्बन्धित प्रकरण मे दिनांक 21.11.2019 को आदेश पारित किया जा चुका है। जिसमें उभयपक्ष अधिवक्तागण ने उक्त रिपोर्ट दिनांक 9.05.2018 के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम कर दिये जाने में पूर्ण सहमति जाहिर की है। उक्त विवादित प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी दीगोद से आदेश पारित हो जाने से इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील में निर्णय पारित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

8 परिणामस्वरूपः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

9. निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(मुकेश कुमार चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा